# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

( छ.ग. शासन के अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित )

कोनी–बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 240702, 240712, 240752

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in


---

# GUIDELINES FOR MINORITY CELL
# (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के दिशा–निर्देश)

## CONTACT US

## विश्वविद्यालय मुख्यालय


सिहावा अकादमिक भवन

कोनी–बिरकोना मार्ग,

बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 240702, 240712, 240752

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

# अनुक्रमणिका (Index)


| क्र. | विवरण | पृ.क्र. |
|---|---|---|
| 1. | परिचय<br>(Introduction) | 3 |
| 2. | लक्ष्य<br>(Aim) | 3 |
| 3. | उद्‌देश्य<br>(Objectives) | 4 |
| 4. | कार्य एवं गतिविधियां<br>(Functions and Activities) | 5 |
| 5. | सेल का गठन<br>(Composition of Cell) | 5 |

## 1. परिचय (Introduction)

विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाने के उददेश्य से की गई है। ''सबको समान अवसर'' इस तथ्य का पालन करते हुये विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रतिबद्व है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मूल रुप से मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्व आदि अल्पसंख्यक छात्रों/ शिक्षक/ अधिकारी/कर्मचारी को उनके शैक्षणिक विकास में सहायता प्रदान करेगा।

## 2. लक्ष्य (Aim)

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का लक्ष्य विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना और उनकी पाठ्यचर्या, सह–पाठ्यचर्या एवं पाठ्येतर गतिविधियों में सहायता करना है। सेल की स्थापना मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्व और अन्य समुदायों के अल्पसंख्यक छात्रों/ शिक्षक/ अधिकारी/ कर्मचारी को समग्र विकास हासिल करने में मदद करने के लिये की गई है।

## 3. उद्देश्य (Objectives)

- अल्पसंख्यक छात्रों/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, की शिक्षा के लिये समान अवसर सुनिश्चित करना;
- अल्पसंख्यक छात्रों/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न छात्रवृत्ति/अन्य योजनाओं से अवगत कराना;
- अल्पसंख्यक छात्रों/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, को पाठयक्रमों, कार्यशालाओं,कार्यक्रमों आदि में नामांकित/शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करना जिससे की उनके कौशल के विकास में सहायता प्रदान की जा सके;
- प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक छात्रों/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, को पेशेवर और रोजगार क्षेत्र में, व्यक्तित्व विकास व संचार कौशल के विकास के लिये परामर्श के माध्यम से, सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है;
- अल्पसंख्यक छात्रों/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, को नियमित शिकायत निवारण तंत्र (regular redressal mechanism) के अलावा एक अतिरिक्त शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism) प्रदान करना;
- ऐसे वातावरण के प्रावधान सुनिश्चित करना जहां छात्र/ शिक्षक/ अधिकारी/ कर्मचारी सुरक्षित महसूस कर सकें;
- अल्पसंख्यक छात्रों/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें बेहतर भविष्य की योजना बनाने के लिये प्रेरित करना;
- विश्वविद्यालय परिसर/संबंधित अध्ययन केन्द्र में किसी भी घटना के कारण उत्पन्न होने वाली भावनात्मक आपात स्थिति के लिये त्वरित परामर्श प्रदान करना;

## 4. कार्य एवं गतिविधियां (Functions and Activities)

- ✓ अल्पसंख्यक छात्रों/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी की शिक्षा, रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्र/राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों की रिपोर्ट और जानकारी एकत्र करना।
- ✓ विभिन्न केन्द्र/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति/अन्य योजनाओं तथा इससे संबंधित अद्यतन जानकारी का प्रचार करना।
- ✓ विश्वविद्यालय के अन्य सेल जैसे प्लेसमेंट सेल, छात्र सेल आदि के साथ समन्वय कर सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र उनकी गतिविधियों में भाग लें।

## 5. सेल का गठन (Composition of Cell)

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार होगा –

- शैक्षणिक संकाय से दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा।
- शैक्षणिक संकाय सदस्यों में से एक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होगा।
- कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय अशैक्षणिक संकाय से अधिकारी/कर्मचारी में से एक सदस्य।

विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जानकारी वेबसाइट पर दर्शित की जायेगी